

BY-E Mail / Most Urgent

क्रमांक - 10

दिनांक- 24/03/2020

प्रेषक - अध्यक्ष,
ई-कोर्ट कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला, जयपुर

प्रेषिति - समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।


विषय - विषय:- **Regular updation of cases in CIS and Uploading Judgements / Orders**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत आपके न्यायालय में सभी निस्तारित प्रकरणों (Contested / Uncontested) के Judgements / Orders भी CIS में नियमित रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक है। अगर कहीं पर सी.आई.एस. की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं हो तो आवश्यक रूप से उसका वैकल्पिक रास्ता अमल में लाया जाकर पत्रावलीयों को अनडेटेड किया जावे।

अतः आप को आदेशित किया जाता है कि आप इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को Updation एवं Judgements/Orders Uploading का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से करने हेतु आदेशित करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन प्रकरणों को CIS में अपडेट कर न्यायालय के Undated Cases की संख्या शून्य रखी जावे तथा Judgements / Orders भी तत्काल अपलोड किये जायें।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की देरी व शिथिलता अथवा लापरवाही नहीं बरती जाये इसे गंभीरता से लिया जाये।

भवदीय

अध्यक्ष,
ई-कोर्ट कमेटी,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर जिला, जयपुर